

अनौपचारकि क्षेत्र के श्रमकिंों के लयि सामाजकि सुरक्षा उपाय

प्रलिमिस के लयि:

सामाजकि सुरक्षा

मेन्स के लयि:

अनौपचारकि क्षेत्र के श्रमकिंों के लयि सामाजकि सुरक्षा उपाय और संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समतिने बढ़ती बेरोज़गारी और नौकरी छूटने पर कोवडि-19 महामारी के प्रभाव पर एक रपोर्ट जारी की है।

- पैनल ने सरकार से सामाजकि सुरक्षा उपायों में सुधार करने और धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण तथा अनौपचारकि क्षेत्र के श्रमकिंों के लयि शहरी रोज़गार गारंटी योजना जैसे उपाय करने का आहवान किया।

सामाजकि सुरक्षा

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजकि सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जसि वंचिंग को रोकने, व्यक्तिको एक न्यूनतम न्यूनतम आय का आश्वासन देने और कसी भी अनश्वितिता से व्यक्तिकी रक्षा करने के लयि डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें दो तत्व भी शामिल हैं, अर्थातः
 - भोजन, कपड़े, आवास और चकितिसा देखभाल तथा आवश्यक सामाजकि सेवाओं सहति स्वास्थ्य व कल्याण के लयि प्रयाप्तजीवन स्तर का अधिकार।
 - आय का अधिकार कसी भी व्यक्तिको नियंत्रण से परे परस्थितियों में बेरोज़गारी, बीमारी, दवियांगता, वधिवापन, वृद्धावस्था या आजीवकियों की अन्य की स्थिति में सुरक्षा।

प्रमुख बांदि:

सामाजकि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- आवधकि श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का हवाला देते हुए रपोर्ट में कहा गया है कि 90% श्रमकि अनौपचारकि क्षेत्र में थे, जो कि 465 मलियन श्रमकिंों में से 419 मलियन हैं।
 - रोज़गार की मौसमी और औपचारकि क्रमचारी-नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारकि श्रमकिंों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- दूसरी लहर के प्रभाव पर अभी तक कोई सर्वेक्षण आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो निविवाद रूप से पहली की तुलना में अधिक गंभीर रहा है।
 - हालाँकि उपाय्यानात्मक साक्षय बताते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारकि क्षेत्र में महत्वपूर्ण आय की हानिहुई है, जसिने कमज़ोर वर्ग को संकट में डाल दिया है।
 - इसके अलावा भारत में कोवडि -19 संकट, पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोज़गारी की पृष्ठभूमि में आया है।
- असंगठित श्रमकिंों और उनके परवार के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य व शक्षिका पर परणामी प्रभाव एक लंबी अवधितिक अपूरणीय क्षतिडालने की क्षमता रखते हैं।

रपोर्ट की मुख्य वशिष्टताएँ :

- श्रम मंत्रालय ने कोवडि -19 के प्रभाव की वजह से प्रवासी संकट का प्रतितिहास देने में देरी की।
- महामारी ने श्रम बाज़ार को नष्ट कर दिया है, जिसने रोज़गार परिवृत्त्य को प्रभावित किया है और लाखों श्रमिकों व उनके परिवारों के अस्तित्व को खतरा है।
- इस परिवृत्त्य में समतिने सफारशि की:
 - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** कोवडि-19 जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के बैंक खातों में पैसा भेजना।
 - यह पीएम-स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वैडरस को दिये गए ऋण को सीधे नकद अनुदान में परिवर्तित करने का भी सुझाव देता है।
 - **यूनिवर्सल हेलथकेयर:** यूनिवर्सल हेलथकेयर को सरकार का कानूनी दायतिव बनाया जाना चाहिये। यह अनौपचारिक श्रमिकों को अनविरास्य स्वास्थ्य बीमा द्वारा प्रदान किया जा सकता है।
 - **मनरेगा सुधार:** मनरेगा के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिये तथा मनरेगा की तरज पर एक शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू की जानी चाहिये।
 - यह मनरेगा के तहत गारंटीकृत काम के अधिकतम दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 करने का सुझाव देता है।
 - **रोज़गार के अवसरों में वृद्धि:** पारंपरिक कृषेत्रों में नविश का लाभ उठाना, 'मैक इन इंडिया' मिशन को मज़बूत करना तथा वभिन्न कृषेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार को तेज़ करने से आगे बढ़कर यह स्थानीय एवं अखलि भारतीय रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा।

अनौपचारिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिये पूरव में की गई पहलें:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
- श्रम सुधार
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMR PY)
- PM स्वनिधि: स्ट्रीट वैडरस के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- PM गरीब कल्याण अनन्य योजना (PMGKAY)
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री कसिन सम्मान निधि
- भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को विश्व बैंक की सहायता

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का नरिण्य:

- **प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों का उपयोग कर सकें।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण में सर्वोच्च न्यायालय का नरिण्य:

- **प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों का उपयोग कर सकें।
- **ONORC परणाली के आधार पर कार्य करना:** SC ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) परणाली को लागू करने का निर्देश दिया।
 - यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रवासी मज़दूरों को देश के कसी भी हस्से में अपने राशन कार्ड के साथ कसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

आगे की राह

- श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिये।
- एक व्यापक योजना और रोडमैप की आवश्यकता है ताकि महामारी से बहुत अधिक बिंदुती रोज़गार की स्थिति और संगठित क्षेत्र में नौकरी बाज़ार में बढ़ती असमानताओं को दूर किया जा सके।
- असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, मौजूदा आजीविका को मज़बूत करना, नए अवसर पैदा करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, कोवडि -19 के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमुख कार्य हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

